



मध्यप्रदेश शासन
कार्यालय पदाभिहित अधिकारी, लोक सेवा केंद्र Balaghat
टप्पा/तहसील बालाघाट जिला बालाघाट

प.क्र. RS/457/0110/35650/2019 /बी-121/2019

दिनांक 15/10/2019

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. रीशनी यादव पिता/पति कृष्ण कुमार यादव निवासी बालाघाट, ward029, Lal Bahadur Shastri Ward, Balaghat (M), Balaghat, बालाघाट तहसील बालाघाट जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्ठिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. * प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टिप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में सहाय हेतु विद्यार्थी माह्व नहीं होगा।
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर के आधार पर जारी)

KU SIKHA BHALAVI
प्राधिकृत अधिकारी

* लागू न होने पर काट दें।

नोट :- जिस कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/457/0110/35650/2019 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाइट loksewa.gov.in अथवा mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटाउट वेबसाइट www.mpedistrict.gov.in से भी द्वारा निम्नलिखित गया है।

हस्ताक्षर

mpedistrict.gov.in www.mpedistrict.gov.in www.mpedistrict.gov.in

1/1

R

Shot on realme U1